तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी[illegible] अहकाम जो इ[illegible] हुक्म की तामी[illegible] में जारी हुए
13/5/24	पत्रावली पेश। बहस हेतु एक अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 30/5/2024 को पेश हो। Priyanka सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
30/5/24	पत्रावली पेश। प्रा पत्र पर बहस हेतु एक अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 20/6/2024 को पेश हो। Priyanka सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
20/06/24	पत्रावली पेश। अधि. प्रार्थी उप.। लंबे समय से बहस नहीं की जा रही है। merit के आधार पर प्रा. पत्र का निस्तारण किया जाना है। मुताबिक प्रा. पत्र - " ग्राम सिरोड़ी ख. सं. 47 (04 बीघा 11 बिस्वा) भूमि वर्ष 1995 में प्रेमाराम, खेताराम, चेनाराम, मेघाराम ने संयुक्त रूप से जरिए रजि. बेयनामा खरीद की, जिसमें प्रार्थी का 1/4 हि. बनता है। वर्ष 2012 में कुंभाराम का देहांत होने पर खेताराम द्वारा वसीयत पेश की गई, जिसमें कुंभाराम ने विवादित भूमि का 1/2 हि. खेताराम के नाम किया, इसप्रकार विवादित भूमि में खेताराम का 1/4 हि. व प्रेमाराम, चेनाराम का 1/4 हि. बनता है। Rev. record अनुसार सभी काबिज है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी की 01 बीघा 2.5 बिस्वा भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। अतः अप्रार्थीगण को मौका एवं record की यथास्थिति हेतु पाबंद किया जावे।'	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	मुताबिक जवाब अप्रार्थीगण-" प्रार्थी पुश्तैनी समय से ख. सं. 46 एवं अप्रार्थीगण ख. सं. 47 पर काबिज है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने हि. की 01 बीघा 2.5 बिस्वा जमीन ख. सं. 46 की प्रार्थी को दी गई है और उसके बदले में प्रार्थी की 01 बीघा 2.5 बिस्वा जमीन ख. सं. 47 में प्राप्त की गई है। अतः प्रा. पत्र खारिज फरमाया जावे।" उपरोक्त तथ्यों, बहस, दस्तावेजों के आधार पर प्रा. पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है- " चूंकि विवादित ख. सं. 47 में प्रार्थी 1/4 हि. का recorded खातेदार है, अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। ~~अतः~~ ख. सं. 46 की जमाबंदी का अवलोकन किया गया, जिसमें प्रार्थी, अप्रार्थीगण सहखातेदार हैं। अतः अप्रार्थीगण का जवाब भी आंशिक रूप से स्वीकार्य है। अतः प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 01, 02 को पाबंद किया जाता है कि वे एक-दूसरे के कब्जा-काश्त में दखल ना दें।" आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल-शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो।	